श्रम विभाग, दिल्ली सरकार
5 शाम नाथ मार्ग, सिविल लाइन्स,
दिल्ली–110054

F.No.17 (1122)/DBOCWWB/2022/6207-6208 दिनांक–14.12.2023

सेवा में,

उप–सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधानसभा सचिवालय,
दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली ।

विषयः दिनांक 18 / 12 / 2023 को तारांकित प्रश्न संख्या 36 एवं अतारांकित प्रश्न संख्या 164 का उत्तर।

महोदय,

माननीय विधायक श्रीमति भावना गौर एवं श्री मोहिंदर गोयल द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या 36 एवं अतारांकित प्रश्न संख्या 164 के उत्तर की प्रतिलिपियाँ आपके कार्यालय में उचित कार्यावाही हेतू भेजी जा रही है। यह उत्तर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है।

संलग्नः उपरोक्तानुसार

भवदीय

(उपश्रमायुक्त / कार्यालय प्रमुख)

प्रतिलिपीः–निदेशक, सूचना एवं प्रचार निर्देशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली–54 (उपरोक्त प्रश्नो के उत्तरों की प्रतिलिपियों सहित)

(उपश्रमायुक्त / कार्यालय प्रमुख)

तारांकित प्रश्न संख्या :–36

विभाग का नाम :–श्रम विभाग, दिल्ली सरकार, 5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली-54

विभाग का पता :–5 शाम नाथ मार्ग, दिल्ली-110054

दिनांक –18 / 12 / 2023

प्रश्नकर्ता का नाम :– श्री मोहिंदर गोयल

क्यामाननीय श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

प्रश्न	उत्तर
क)क्या यह सत्य है की वर्तमान समय में श्रमिक कार्ड नही बनाये जा रहे हैं।	यह सही नहीं है। दिल्ली भवन एवम अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के वेब पोर्टल पर "www. https://dbocwwb.delhi.gov.in" पर जाकर कोई भी भवन एवम अन्य संनिर्माण श्रमिक अपना पंजीकरण करवा सकता है।
ख)क्या यह भी सत्य है कि पुराने बने श्रमिक कार्ड का नवीनीकरण भी नहीं हो रहा है	यह सही नहीं है। दिल्ली भवन एवम अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के वेब पोर्टल पर "www. https://dbocwwb.delhi.gov.in" पर जाकर कोई भी पंजीकृत भवन एवम अन्य संनिर्माण श्रमिक अपना नवीनीकरण करवा सकता है।
ग)यदि हा तो इसके क्या कारण हैं	उपरोक्त अनुसार लागू नहीं होता।
घ)यदि श्रमिक कार्ड बनवाने या इसके नवीनीकरण के लिए कोई नया नियम बनाया गया है तो कृपया पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाए और	कोई भी भवन एवम अन्य संनिर्माण श्रमिक अपना पंजीकरण भवन एवम अन्य संनिर्माण श्रमिक (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 के अनुभाग 12 तथा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) नियम, 2002 के नियम 266 के अंतर्गत करवा सकता है।
ड.)वर्तमान समय में रिठाला विधान सभा क्षेत्र के कुल कितने श्रमिक कार्ड हैं , नाम , पता, टेलीफ़ोन नंबर सहित पूर्ण जानकारी उपलब्ध करवाई जाए।	श्रम विभाग, दिल्ली सरकार के दिल्ली भवन एवम अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड द्वारा जिला अनुसार लेबर कार्ड बनाए जाते हैं, विधानसभावार नहीं ।

हस्ताक्षर

(अरुण कुमार झा)